अक्टूबर से फ्लैट खरीदारों को मोबाइल पर मिलेगी प्रोजेक्ट की तिमाही रिपोर्ट

प्रोजेक्ट पर खर्च की गई राशि से लेकर बुक फ्लैट की दी जाएगी जानकारी

रेरा की पहल

राज्य ब्यूरो, जागरण • पटना : फ्लैट खरीदारों को अब अपने प्रोजेक्ट की हर छोटी-बड़ी जानकारी घर बैठे मोबाइल पर मिल सकेगी। घर खरीदार अपने फ्लैट के निर्माण कार्य की प्रगति की तिमाही अपडेट रिपोर्ट वाट्सएप पर प्राप्त कर सकते हैं। इसमें फ्लैट खरीदारों को प्रोजेक्ट की भौतिक प्रगति, प्रोजेक्ट में कुल फ्लैट की संख्या, कुल बुक की गई फ्लैट की संख्या, प्रोजेक्ट मद में ग्राहकों की ओर से दी गई कुल रकम, प्रोजेक्ट पर खर्च की गई रकम के साथ प्रोजेक्ट पर दायर की गई शिकायतवादों आदि का विवरण रहेगा। रेरा बिहार ने इस दिशा में एक अनूठी पहल की है, जिसकी शुरुआत एक अक्टूबर से की जाएगी।

रेरा के अनुसर, इस सुविधा का लाभ सिर्फ उन्हीं आवंटियों (फ्लैट खरीदारों) को मिलेगा, जो रेरा बिहार को अपने तथा प्रोजेक्ट के विषय में वांछित सूचनाएं उपलब्ध कराएंगे। इसके लिए आवंटी को अपना नाम, ईमेल आइडी, मोबाइल नंबर, प्रोजेक्ट का नाम, प्रोजेक्ट का जिला, प्रोजेक्ट स्थल के अंचल का नाम, फ्लैट नं, बिल्डर (कंपनी) का नाम, बिल्डर के साथ किये गए निबंधित अनुबंध की तिथि, उसकी स्कैन प्रति और बिल्डर को किये गए भुगतान का विवरण (प्रमाण सहित) रेरा बिहार को उपलब्ध करना होगा। इस जानकारी को उपलबध कराने के लिए एक अक्टूबर से रेरा बिहार की वेबसाइट (https://rera.bihar.gov.in) पर अलाटी डिटेल के नाम से एक लिंक उपलब्ध करा दिया जाएगा जिसपर क्लिक करने से फार्म खुलेगा। इसमे वांछित सूचनाएं उपलब्ध करानी होगी।

रेरा बिहार के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने कहा कि घर खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए यह शुरुआत की जा रही है। प्रत्येक निबंधित प्रोजेक्ट की तिमाही प्रगति का विस्तृत विवरण रेरा बिहार की वेबसाइट पर उपलब्ध रहता है, लेकिन इस नयी शुरुआत के बाद ग्राहक पूरी रिपोर्ट का सार आसान भाषा में अपने फ़ोन पर वाट्सएप के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे।

18 आवंटियों को लौटाए जाएंगे एक करोड़ रुपये

राज्य ब्यूरो, जागरण, पटना : अग्रणी होम्स के पीके विला प्रोजेक्ट में निवेश करने वाले घर खरीदारो को उनकी फंसी हुई राशि वापस मिलेगी। रेरा बिहार ने बिल्डर के विरुद्ध वाद दायर करने वाले 18 लोगों को कुल एक करोड़ की राशि लौटाने का आदेश जारी किया है। इन सभी घर खरीदारों को उनके द्वारा भुगतान की गई कुल राशि के अनुपात में यह रकम लौटाई जाएगी। रेरा बिहार में एक करोड़ रुपये की राशि पीके विला प्रोजेक्ट के जमीन मालिक ने प्राधिकरण के निर्देश पर जमा किया था। प्राधिकरण ने सोमवार के आदेश में कहा कि सभी घर खरीदारों को यह राशि आरटीजीएस के माध्यम से पहुंचाई जाएगी।